2026

विवरणिका सह अधिसूचना

पार्श्व प्रवेश चयन परीक्षा के लिए

कक्षा XI (2026-27)

पंजीकरण की अंतिम तिथि : 23-09-2025

चयन परीक्षा की तिथि : 07-02-2026

अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें:
www.navodaya.gov.in

नवोदय विद्यालय समिति

बी-15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201307

सत्र 2026-27 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालयों में कक्षा–11 में संभावित उपलब्ध होने वाले रिक्त स्थानों के सापेक्ष चयन परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु अधिसूचना (विवरणिका)

1.0 परिचयः

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, (1986) के अनुसार भारत सरकार ने जवाहर नवोदय विद्यालय (जनवि) प्रारम्भ किए थे। वर्तमान में जनवि **तमिलनाडु राज्य को छोड़कर** 27 राज्यों और 8 संघ शासित क्षेत्रों में फैले हुए हैं। ये सह–शैक्षणिक आवासीय विद्यालय हैं जो एक स्वायत्त संगठन, नवोदय विद्यालय समिति के माध्यम से भारत सरकार द्वारा पूर्ण वित्त पोषित और प्रशासित हैं। जनवि में मुख्य प्रवेश कक्षा–6 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (जेएनवीएसटी) के माध्यम से किए जाते हैं।

जनवि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध हैं। इन विद्यालयों में विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ भोजन, आवास, गणवेश (यूनीफार्म) एवं पाठ्यपुस्तकें निःशुल्क प्रदान की जाती हैं, केवल कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों से रू0 600/–प्रति माह विद्यालय विकास निधि के माध्यम से लिया जाता है, यद्यपि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी, दिव्यांग विद्यार्थी, सभी बालिका विद्यार्थी और विद्यार्थी जिनके परिवारों की आय गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) है, को छूट दी गई है। छूट प्राप्त वर्ग (कक्षा–6 से 8 के विद्यार्थी, सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, बालिका विद्यार्थी , दिव्यांग तथा गरीबी रेखा के नीचे (BPL) परिवारों के पाल्य) के अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों के पाल्य से रू0 1500/– प्रतिमाह की दर से विकास निधि के लिए अथवा माता–पिता द्वारा प्राप्त वास्तविक पाल्य शैक्षणिक भत्ता, जो भी कम हो, देय होगा परन्तु विद्यालय विकास निधि रू0 600/–प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी से कम नहीं होगी।

1.1 योजना के उद्देश्य

(i) विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों को श्रेष्ठ गुणवत्ता युक्त आधुनिक शिक्षा के साथ सशक्त सांस्कृतिक घटक एवं मूल्यपरक शिक्षा, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, साहसिक क्रियाओं एवं शारीरिक शिक्षा प्रदान करना।

(ii) विद्यार्थियों की उचित स्तरीय त्रिभाषा दक्षता प्राप्ति सुनिश्चित करना।

(iii) हिंदी से अहिंदी भाषी तथा अहिंदी से हिंन्दी भाषी राज्यों में विद्यार्थियों के प्रवजन के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना।

(iv) अनुभवों और सुविधाओं की सहभागिता के द्वारा विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रत्येक जनपद में केन्द्र बिन्दु के रूप में सेवाएं देना।

1.2 राज्यवार जवाहर नवोदय विद्यालयों का वितरण

नवोदय विद्यालय योजना के अनुसार, प्रत्येक जिले में एक विद्यालय चरणबद्ध ढंग से खोला जाएगा। वर्तमान में **तमिलनाडु राज्य को छोड़कर 27** राज्यों और **08** संघ शासित प्रदेशों में कुल **653** नवोदय विद्यालय कार्यरत हैं। राज्यवार कार्यरत जनवि का वितरण निम्नवत है :—

क्र. सं.	राज्य	जनवि की संख्या	क्र.स	राज्य	जनवि की संख्या
01	आन्ध्र प्रदेश	13+02**	19	मध्य प्रदेश	51+02**+01*
02	अरुणाचल प्रदेश	17	20	महाराष्ट्र	33+01**
03	असम	27+01**	21	मणिपुर	09+02*
04	बिहार	38+01**	22	मेघालय	11+01**
05	चण्डीगढ़ (केन्द्रशासित)	1	23	मिजोरम	8
06	छत्तीसगढ़	27+01**	24	नागालैण्ड	11
07	दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव (केन्द्रशासित)	3	25	ओड़िशा	30+01**
08	दिल्ली (केन्द्रशासित)	5	26	पुद्दूचेरी (केन्द्रशासित)	4
09	गोवा	2	27	पंजाब	22+01**
10	गुजरात	33+01**	28	राजस्थान	33+02**
11	हरियाणा	21	29	सिक्किम	4
12	हिमाचल प्रदेश	12	30	तेलंगाना	9
13	जम्मू और कश्मीर (केन्द्रशासित)	19+01**	31	त्रिपुरा	8
14	झारखण्ड	24+02**	32	केन्द्रशासित अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	3
15	कर्नाटक	30+01**	33	उत्तर प्रदेश	75+01**
16	केरल	14	34	उत्तराखण्ड	13
17	लद्दाख (केन्द्रशासित)	2	35	पश्चिम बंगाल	17+01**
18	लक्षद्वीप (केन्द्रशासित)	1			
योग 630+20+3*=653**					

**** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की अधिक जनसंख्या संकेन्द्रण वाले जिलों हेतु स्वीकृत अतिरिक्त जनवि**

***विशिष्ट जनवि**

2.0 नवोदय विद्यालय योजना की मुख्य विशेषताएं

2.1 विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को आधुनिक गुणवत्तायुक्त शिक्षा।

2.2 कक्षा 6 से कक्षा 12 तक सहशैक्षणिक और पूर्णरूपेण आवासीय।

2.3 स्थान – आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में।

2.4 भोजन, आवास, गणवेश, पाठय पुस्तकें व लेखन सामग्री आदि के साथ निःशुल्क शिक्षा।

2.5 सीबीएसई से सम्बद्ध।

2.6 त्रिभाषा दक्षता का कार्यान्वयन।

2.7 जनवि में कक्षा 8 तक अनुदेश (शिक्षा) का माध्यम मातृ भाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा है और इसके बाद से गणित और विज्ञान के लिए अंग्रेजी तथा सामाजिक विज्ञान के लिए हिन्दी/अंग्रेजी है। जनवि के विद्यार्थी सीबीएसई की बोर्ड़ परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं।

2.8 देश की संस्कृति और लोगों की विविधता और बहुलता की समझ के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए हिन्दी भाषी क्षेत्र में स्थित एक विद्यालय से गैर हिन्दी भाषी क्षेत्र के एक विद्यालय में एवं इसी तरह गैर हिन्दी भाषी क्षेत्र से हिन्दी भाषी क्षेत्र में कक्षा–9 के 30 प्रतिशत विद्यार्थियों को एक शैक्षणिक वर्ष हेतु भेजा जाता है ।

3.0 अधिसूचना

शैक्षणिक वर्ष **2026-27** में जनवि में संभावित उपलब्ध होने वाले रिक्त स्थानों के सापेक्ष कक्षा–11 में प्रवेश के लिए पात्र विद्यार्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चयन परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा जो नविस नीति के अनुसार एक बाहरी एजेंसी द्वारा आयोजित की जाएगी।

4.0 आवेदन करने की पात्रता

4.1 कौन पात्र है ?

4.1.1 उम्मीदवार की जन्मतिथि **01 जून 2009 से 31 जुलाई 2011 (दोनों दिवस सम्मिलित)** के बीच होनी चाहिए। यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित सभी वर्ग के उम्मीदवारों पर लागू है। **जिन उम्मीदवारों ने सत्र 2025-26 से पहले दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की है, पात्र नहीं है। जो उम्मीदवार सत्र 2025-26 के दौरान दसवीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, केवल वे आवेदन करने के पात्र हैं।**

4.1.2 उम्मीदवारों को शैक्षणिक सत्र 2025-26 (अप्रैल 2025 से मार्च 2026सत्र)/2025 (जनवरी से दिसम्बर 2025 सत्र) के दौरान जिला, जहां जवाहर नवोदय विद्यालय अवस्थित है, के सरकारी/सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल (सीबीएसई या किसी अन्य राज्य शिक्षा बोर्ड/अन्य सरकारी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सम्बद्ध) से दसवीं कक्षा का अध्ययन कर रहा होना चाहिए।

4.1.3 केवल भारतीय नागरिक, जिन्होने भारत में दसवीं कक्षा का अध्ययन किया है, आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

4.2 कौन पात्र नही है?

4.2.1 वे उम्मीदवार जिन्होंने सत्र 2025-26 से पहले कक्षा–10 उत्तीर्ण किया है, पात्र नहीं है। केवल वे उम्मीदवार जो सत्र 2025-26 के दौरान कक्षा–10 में अध्ययन कर रहे हैं, आवेदन करने के पात्र हैं।

5-0 रिक्त सीटों के सापेक्ष कक्षा–11 में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों के चयन हेतु मानदंड ।

5-1 शैक्षणिक **सत्र 2026-27** के लिए जनवि में कक्षा–11 में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों का चयन उपलब्ध होने वाले संभावित रिक्त स्थानों के सापेक्ष किया जाएगा।

5.2 सत्र 2024–25 में जनवि के दसवीं कक्षा में अध्ययन करने वाले छात्रों को प्रवेश देने के पश्चात कक्षा–11 में रिक्त स्थानों को संबंधित जनवि में अन्य प्रशासनिक आवश्यकताओं और आवास की उपलब्धता के आधार पर केवल पार्श्व प्रवेश चयन परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा।

5.3 ग्रामीण/बालिका/अनुसूचित जाति/अनसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग श्रेणी के रिक्त स्थानों को संबंधित श्रेणी के उम्मीदवारों से भरा जाएगा। यदि योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं तो नविस मानदंड के अनुसार रिक्त स्थानों को भरा जाएगा।

5.4 चयन परीक्षा के उपरान्त छात्रों का अनंतिम चयन निम्नलिखित चरणों के अनुसार किया जाएगा।

अ) जिलावार मेरिट सूची तैयार की जाएगी और विद्यार्थियों को रिक्तियों के सापेक्ष अनंतिम रूप से चयनित किया जाएगा। रिक्त स्थानों को भरने के लिए केवल संबंधित जिले से दसवीं कक्षा के अध्ययन और निवास की दोहरी शर्तों पर जिलावार मेरिट सूची के अन्तर्गत विचार किया जाएगा।

ब) जो उम्मीदवार केवल एक स्ट्रीम में प्रवेश के इच्छुक हैं, उन्हें केवल उस स्ट्रीम के लिए आवेदन करने के लिए सुझाव दिया जाता है। हालांकि, अधिकतम दो स्ट्रीम के लिए आवेदन करने का प्रावधान किया गया है। उम्मीदवारों द्वारा प्रयोग किए गए कई विकल्पों पर विज्ञान, वाणिज्य, मानविकी और व्यावसायिक क्रम में विचार किया जाएगा।

स) जिले के जनवि में रिक्त स्थानों के सापेक्ष छात्रों के चयन के पश्चात राज्य स्तर पर एक सामान्य मेरिट सूची तैयार की जाएगी। चरण (अ) के पश्चात, उसी राज्य के किसी भी जनवि में मौजूद रिक्तियों को मेरिट एवं उम्मीदवार द्वारा प्रयुक्त विकल्प के अनुसार राज्य स्तरीय वरीयता सूची से भरा जाएगा।

द) एक राज्य के उम्मीदवार, दूसरे राज्य में प्रवेश के लिए पात्र नहीं हैं।

5.5 योग्य उम्मीदवारों को चयन मानदंड के अनुसार मेरिट, श्रेणियों, चयनित जनवि और स्ट्रीम में रिक्तियों के आधार पर जनवि में 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए अनंतिम रूप से चुना जाता है। रिक्तियों के सापेक्ष यदि एक जनवि और एक स्ट्रीम के लिए चुना जाता है, तो जनवि/स्ट्रीम में परिवर्तन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

5.6 नविस को यह अधिकार है कि वह संबंधित जनवि में उपलब्ध आवास सहित प्रशासनिक अनिवार्यताओं, यदि मौजूद है, पर विचार कर किसी जनवि/स्ट्रीम में रिक्तियों को भरने के बारें में निर्णय ले सकता है।

5.7 चयनित विद्यार्थियों को संबंधित जनवि के प्राचार्य द्वारा एसएमएस/स्पीड पोस्ट द्वारा सूचित किया जाएगा। उम्मीदवार पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके पंजीकरण पोर्टल से चयन को नोट कर सकते हैं।

5.8 नव प्रवेशित विद्यार्थियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने के अतिरिक्त विद्यालय के चिकित्सक द्वारा भी चिकित्सा जांच कराई जाती है । संक्रामक रोग / गंभीर बीमारियों से पीड़ित छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

5.9 नव प्रवेशित विद्यार्थियों के सीखने के अन्तराल को भरने एवं उन्हें नए वातावरण हेतु अनुकूलित करने के लिए 10 दिनों के अभिविन्यास कार्यक्रम की व्यवस्था की जाएगी।

6. ग्रामीण और शहरी उम्मीदवार

ग्रामीण क्षेत्र में स्थित किसी विद्यालय में दसवीं कक्षा में अध्ययन कर रहे उम्मीदवार को ग्रामीण उम्मीदवार माना जाएगा, जिसकी उम्मीदवारी ओपन और ग्रामीण वर्ग के तहत मानी जाएगी।

उम्मीदवार जिसने सत्र के एक दिन भी शहरी क्षेत्र में स्थित विद्यालय में दसवीं कक्षा का अध्ययन किया है, उसे शहरी क्षेत्र उम्मीदवार माना जाएगा। शहरी क्षेत्र वे हैं जो चयन परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक किसी भी सरकारी अधिसूचना द्वारा परिभाषित किए गए हैं। अन्य सभी क्षेत्रों को ग्रामीण माना जाएगा।

7. स्थानों का आरक्षण

जनवि में दसवीं कक्षा में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को प्रवेश देने के बाद शैक्षणिक वर्ष **2026-27** के लिए कक्षा–11 में जनवि में अनुमानित उपलब्ध रिक्त स्थानों को भरने के लिए पार्श्व प्रवेश चयन परीक्षा आयोजित की जाती है।

अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनु0जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग श्रेणी में मौजूदा रिक्त स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ दिव्यागं छात्रों के लिए आरक्षित हैं। अ0पि0व0 के छात्रों के लिए आरक्षण केन्द्रीय सूची

जैसा कि समय–समय पर लागू होता है, के अनुसार लागू किया जाएगा। जिन अ0पि0व0 उम्मीदवारों की जाति केन्द्रीय सूची में शामिल नहीं है, उन्हें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में आवेदन करना चाहिए। यदि किसी विशेष श्रेणी में उपयुक्त योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, तो न0वि0स0 के मानदण्डों के अनुसार उम्मीदवारों का प्रवेश के लिए चयन किया जायेगा।

विभिन्न श्रेणियों जैसे ग्रामीण/बालिका/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग के अन्तर्गत रिक्त स्थानों को उसी वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा। ट्रान्सजेंडर श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कोई अलग आरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है और आरक्षण के उद्देश्य से उन्हें विभिन्न उपश्रेणियों जैसे ग्रामीण, शहरी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एवं दिव्यांगों के अन्तर्गत बालकों में शामिल किया जाएगा।

8. कक्षा–11 पार्श्व प्रवेश चयन परीक्षा–2026 की आयोजन तिथि एवं आवेदन करने की अंतिम तिथि

शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु जनवि में कक्षा–11 में संभावित उपलब्ध होने वाले रिक्त स्थानों के सापेक्ष जनवि में प्रवेश के लिए पार्श्व प्रवेश चयन परीक्षा **शनिवार, 07 फरवरी 2026 को प्रातः 11:00** बजे आयोजित की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 07 अक्टूबर, 2025 है। आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि के उपरान्त दो दिनों के लिए सुधार विंडों खोली जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे विवरण ध्यान पूर्वक भरें और सुधार विंडो की सुविधा का उपयोग करें। इसके बाद किसी भी स्तर पर विवरण में संशोधन के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

9. जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा–11 में प्रवेश के लिए आवेदन कैसे करें

उम्मीदवार नविस की वेबसाइट www.navodaya.gov.in पर सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

10- पार्श्व प्रवेश चयन परीक्षा 2026 के लिए पंजीकरण करने की प्रक्रिया (केवल ऑनलाइन)

- कक्षा 11 में पार्श्व प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सरल बनाया गया है। नविस के आवेदन पोर्टल के लिंक www.navodaya.gov.in के माध्यम से निःशुल्क पंजीकरण किया जा सकता है।
- उम्मीदवारों/माता–पिता को अधिसूचना सह विवरणिका के माध्यम से पात्रता मानदंडों की पूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। कृपया ध्यान दें कि चयन परीक्षा केवल अपेक्षित रिक्त स्थानों के सापेक्ष है, जो संबंधित जनवि में आवास की उपलब्धता के अधीन है।

❖ **निम्नलिखित दस्तावेज सॉफ्ट फॉर्म में (10 से 100 केवी के बीच जेपीजी प्रारूप में) पंजीकरण के लिए तैयार रखा जा सकता है ।**

- फोटो
- माता–पिता के हस्ताक्षर
- उम्मीदवार के हस्ताक्षर

❖ उम्मीदवार के मूल विवरण जैसे राज्य (निवास और अध्ययन), जिला (निवास और अध्ययन), आधार संख्या आदि, आवेदन पोर्टल में भरा जाना है।

❖ ऑनलाइन पोर्टल में आवेदन पत्र जमा करते समय प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम दो स्ट्रीम का चयन करने का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक स्ट्रीम के लिए, आवेदक अधिकतम तीन जनवि चुन सकता है। उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल में दिखाए गए विकल्पों में से जनवि/स्ट्रीम का चयन किया जा सकता है। कक्षा–11 में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों का अंनतिम चयन संबंधित जनवि/स्ट्रीम में परिणामी रिक्तियों पर आधारित होगा। जनवि में संभावित उपलब्ध होने वाले रिक्त स्थानों के सापेक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिए आवेदन एकत्र किया जाता है इसलिए आवेदकों को चयन परीक्षा के आधार पर प्रवेश की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है।

❖ योग्य उम्मीदवारों को ऑनलाइन फार्म भरना होगा और उम्मीदवार एवं उसके माता–पिता दोनों के हस्ताक्षर के साथ फोटो अपलोड करनी होगी।

❖ ऑनलाइन मंच खुला स्रोत और निःशुल्क है । आवेदन डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट आदि किसी भी स्रोत से जमा किया जा सकता है ।

❖ सभी जनवि में उम्मीदवारों/अभिभावकों को उम्मीदवारों का आवेदन निःशुल्क अपलोड करने की सहायता हेतु एक हेल्पडेस्क उपलब्ध है। उम्मीदवार और उसके माता–पिता दोनों के हस्ताक्षर के साथ फोटो जैसे आवश्यक दस्तावेजों को लेकर उम्मीदवार के साथ माता–पिता जनवि में सहायता डेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

❖ पोर्टल में सही जानकारी प्रदान करने के सभी प्रयास किए जाने हैं जिन्हें सहायक दस्तावेजों के साथ प्रवेश के समय चयन के पश्चात प्रमाणित किया जा सके।

❖ अंनतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों का प्रवेश, कक्षा–10 (सत्र 2024–25) उत्तीर्ण करने और ऑनलाइन आवेदन पत्र में उम्मीदवार/माता–पिता द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार आवश्यक सहायक दस्तावेज जमा करने के अधीन है।

❖ चूंकि सभी उद्देश्यों के लिए ऑनलाइन डाटा लिया जा रहा है इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में डाटा को उचित सावधानी के साथ भरें।

ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी को आगे की प्रक्रिया के लिए अंतिम माना जाएगा।

❖ आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के बाद केवल चयनित क्षेत्रों में जानकारी को संशोधित करने के लिए आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि के उपरान्त दो दिनों के लिए सुधार विंडो खोली जाएगी।

सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को परिणामों की घोषणा के पश्चात निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से जिले का निवास, आयु, उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, अध्ययन के जिले सहित पात्रता, श्रेणी (ग्रामीण/शहरी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग) आदि प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। केवल सत्यापन के बाद ही प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा।

11- प्रवेश पत्र जारी करना

प्रवेश पत्र नविस द्वारा निर्धारित की गई तारीख के अनुसार उपलब्ध कराए जाएगें जो आवेदन पोर्टल पर प्रदर्शित किए जाएंगे। पार्श्व प्रवेश चयन परीक्षा के आयोजन से पहले उम्मीदवारों/माता–पिता द्वारा प्रवेश पत्र निःशुल्क डाउनलोड किए जा सकते हैं।

12- चयन परीक्षा का परिणाम

पार्श्व प्रवेश चयन परीक्षा 2026 का परिणाम मई/**जून 2026** तक घोषित होने की उम्मीद है। उम्मीदवार आवेदन पोर्टल से परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।

परिणाम प्रदर्शित करते समय उम्मीदवारों को उस विषय वर्ग (स्टीम) **ज0न0वि0 और मेरिट(जिला/राज्य) का विवरण मिलेगा, जिसके लिए उनका चयन किया जायेगा।**

परिणाम निम्नलिखित कार्यालयों में प्रदर्शित किया जाएगा ।

i. जवाहर नवोदय विद्यालय
ii. जिला शिक्षा अधिकारी
iii. जिलाधिकारी
iv. उपायुक्त, नवोदय विद्यालय समिति संबंधित संभाग
v. नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट www.navodaya.gov.in पर

अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को संबंधित जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य द्वारा भी पंजीकृत मोबाइल संख्या पर एसएमएस के साथ स्पीड पोस्ट से सूचना दी जाएगी।

13. अनंतिम चयन और प्रवेश

क. परीक्षा में अनंतिम चयन से उम्मीदवार को जनवि में प्रवेश प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा। वास्तविक प्रवेश की मांग करते समय, अनंतिम रूप से चयनित प्रत्येक उम्मीदवार को नवोदय विद्यालय समिति द्वारा निर्धारित सभी

प्रासंगिक मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होगें। प्रवेश की पुष्टि तक चयन केवल अनंतिम है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित जनवि द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन और प्रवेश की पुष्टि के पश्चात ही मूल विद्यालय से स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें।

ख. किसी भी विवाद के मामले में, नवोदय विद्यालय समिति का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा।

ग. उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन या अंको के पुनर्योग का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि परिणाम कम्प्यूटर के माध्यम से तैयार किया जाता है और परिणाम को तैयार करते समय विभिन्न जांचों के माध्यम से सटीकता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी रखी जाती है। चयन परीक्षा में प्राप्त अंको को सूचित नहीं किया जाएगा।

घ. निवास और अध्ययन के समान जिले के आधार पर यदि जिला स्तर की योग्यता (मेरिट) के आधार पर प्रवेश के लिए चुना जाता है तो सभी विद्यार्थियों को उस जिले के सरकारी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जहां उन्होने दसवीं कक्षा का अध्ययन किया है और पार्श्व प्रवेश चयन परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

ड. यदि पाया जाता है कि अस्थायी रूप से चयनित उम्मीदवार ने सत्यापन के समय कोई धोखाधड़ी वाला दस्तावेज़ जमा किया है, तो उम्मीदवार को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। इसके अलावा, यदि किसी उम्मीदवार ने कोई जानकारी दबाई/छुपाई है या धोखाधड़ी वाला दस्तावेज़ जमा किया है, और बाद में यह पाया जाता है कि जानकारी या दस्तावेज धोखाधड़ी वालें हैं अथवा न0वि0स0 प्रवेश मानदण्डों के अनुसार नहीं है, तो उसका प्रवेश किसी भी स्तर पर रद्द कर दिया जायेगा, भले ही उसने प्रवेश ले लिया हो।

च उम्मीदवार की जन्मतिथि **01 जून 2009 से 31 जुलाई 2011 (दोनों दिवस सम्मिलित)** के बीच होना चाहिए। उसे प्रवेश के समय संबंधित सरकारी प्राधि द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। अधिक उम्र की संदिग्ध मामलों में उन्हें उम्र की पुष्टि के लिए मेडिकल बोर्ड भेजा जा सकता है। **मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।**

छ .अनंतिम रूप से चयनित अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा **वग (ओ0बी0सी0)** से संबंधित उम्मीदवारों को प्रवेश के समय

अपने दावे का समर्थन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसा प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से पहले से प्राप्त किया जाना चाहिए ताकि इसे दस्तावेज के सत्यापन के समय संबंधित जनवि के प्राचार्य को प्रस्तुत किया जा सके। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी, जिसकी श्रेणी केन्द्रीय अ0पि0व0 सूची में उल्लिखित हो, से संबन्धित उम्मीदवारों को अ0पि0व0 प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

ज. ग्रामीण श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को जिला प्रशासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उम्मीदवार ने जिस विद्यालय से दसवीं कक्षा का अध्ययन किया है, वह ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है।

झ. दिव्यांग श्रेणी (शारीरिक, श्रवण, दृष्टि, तेजाब हमले से पीड़ित और बौनापन) से संबंधित उम्मीदवारों को यदि अनंतिम रूप से चुना जाता है तो उन्हें उचित प्रारूप पर प्रवेश के समय संबंधित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ञ. ट्रान्सजेंडर श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को अपने लिंग के संबंध में संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । इस श्रेणी के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं किया जाता है।

ट. आधार अधिनियम की धारा 4 (4)(ब)(II) के अधीन जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 05.08.2020 को सुशासन (समाज कल्याण, नवाचार,ज्ञान) नियम, 2020 के लिए आधार प्रमाणीकरण अधिसूचित किया है और आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं को लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016(2016 का 18) की **धारा 7** के अनुसरण में, योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले बच्चे को आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार प्रमाणीकरण से गुजरना होगा। नवोदय विद्यालय समिति के संबंध में दिनांक 21.10.2022 व दिनांक 09.01.2023 के संदर्भ संख्या 33004/99 के अन्तर्गत आवश्यक अधिसूचनाएं संबंधित मंत्रालय द्वारा पहले ही जारी की जा चुकी है। कोई भी बच्चा जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने आधार के लिए नामाकन नहीं किया है उसे योजना हेतु पंजीकरण करने से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, बशर्ते कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार है और ऐसे बच्चे किसी भी आधार नामांकन केन्द्र पर जाकर (यूआईडीएआई की बेवसाइटः www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची) आधार के लिए पंजीकरण

कराएंगें। जनवि में भी आधार नामांकन के लिए पंजीकरण की सुविधा है। उम्मीदवारों द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के साथ इस सुविधा का लाभ लिया जा सकता है।

14. चयन परीक्षा के बारें में

क) परीक्षा केन्द्र

i. प्रवेश पत्र पर आवंटित परीक्षा केन्द्र के अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार चयन परीक्षा में उपस्थित होगा/होगी। किसी भी उम्मीदवार को किसी अन्य परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित होने की अनुमति नहीं है। केन्द्र बदलने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। कोई भी उम्मीदवार उचित प्रवेश पत्र के बिना चयन परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकता है। प्रवेश पत्र आवेदन पोर्टल के माध्यम से नविस मुख्यालय की वेबसाइट **www.navodaya.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।

ii. उम्मीदवार को चयन परीक्षा में सम्मिलित होने के समय किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी वैध आई डी लाना होगा।

iii. परीक्षा केन्द्र पर निरीक्षक द्वारा सत्यापन के समय प्रवेश पत्र पर फोटो का उम्मीदवार के साथ मिलान किया जाएगा।

ख) प्रश्न पत्र का माध्यम

उम्मीदवारों को द्विभाषी (अंग्रेजी और हिंदी) प्रश्न पत्र प्रदान किए जाएंगे।

ग) परीक्षा की सरंचना

चयन परीक्षा प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक ढाई घण्टे अवधि की होगी और इसमें केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के साथ पांच खण्ड होगें। 100 अंको के लिए कुल 100 प्रश्न हैं।

विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	अनुमानित समय
मानसिक क्षमता	20	20	30 मिनट
अंग्रेजी	20	20	30 मिनट
विज्ञान	20	20	30 मिनट
सामाजिक विज्ञान	20	20	30 मिनट
गणित	20	20	30 मिनट
कुल	**100**	**100**	**02 घण्टे 30 मिनट**

प्रत्येक उम्मीदवार को सभी पांच खण्डों वाली एक एकल परीक्षा पुस्तिका दी जाएगी। सरकारी मानदंडों के अनुसार "दिव्यांग विद्यार्थियों" (भिन्न रूप से सक्षम) को 50 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा ।

घ) पाठ्यक्रम

चयन परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम **अनुबंध–ए** के रूप में रखा गया है। अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान के संबंध में शैक्षिक योग्यता प्रकार के प्रश्न (बहुविकल्पीय प्रश्न) पूछे जाएगें।

ड). **उत्तर अंकित करने की विधि**

(i) एक अलग ओएमआर (ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन) उत्तर पुस्तिका प्रदान की जाएगी। उम्मीदवारों को ओएमआर शीट पर उपयुक्त स्थान पर अपने उत्तर को इंगित करना आवश्यक है।

(ii) **ओएमआर शीट पर लिखने के लिए केवल नीला/काला बॉल प्वाइंट पेन का उपयोग किया जाना है।** उम्मीदवार को अपने स्वयं के बॉल प्वाइंट पेन लाने चाहिए। **पेंसिल का उपयोग सख्त मना है।**

(iii) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार संभावित उत्तर हैं जिसमें केवल एक सही है। **उम्मीदवार को सही उत्तर का चयन करना है और तदनुसार गोले को काला करना है।** उदाहरण के लिए यदि प्रश्न संख्या 24 के लिए आपका उत्तर C है तो नीचे दिए गए के अनुसार C के गोले को काला करें।

24. (A) (B) (●C) (D)

(iv) काले घेरे में कोई बदलाव की अनुमति नहीं है। ओएमआर शीट पर खुरचने, सफेद/सुधार तरल पदार्थ लगाने और मिटाने की भी अनुमति नहीं है। ऐसे उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

(v) प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक (01) अंक दिया जाएगा।

(vi) कोई नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा।

च) स्ट्रीम और चयन मानदंड

उम्मीदवार को सभी 05 विषयों में एनवीएस मानदंड के अनुसार न्यूनतम अर्ह अंक यानी 20 में से 06 अंक प्राप्त करने होगें। हालांकि मेरिट सूची निम्नलिखित मानदंड (60 में से)के अनुसार विभिन्न विषयों में प्राप्त अंको के आधार पर तैयार की जाएगी।

क्र.सं.	**स्ट्रीम**	**मेरिट सूची तैयार करने के लिए विचार किए जाने वाले विषय**	**अधिकतम अंक**
01	विज्ञान (भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान अनिवार्य)	मानसिक योग्यता + विज्ञान + गणित	60
02	वाणिज्य (लेखाशास्त्र, व्यावसायिक और अर्थशास्त्र अनिवार्य)	मानसिक योग्यता + सामाजिक विज्ञान + गणित	60
03	मानविकी (इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र अनिवार्य)	मानसिक योग्यता + सामाजिक विज्ञान + उच्चतम अंको के साथ शेष तीन विषयों में से एक विषय	60
04	व्यावसायिक (व्यावसायिक विषय अनिवार्य)	मानसिक योग्यता + उच्चतम अंको के साथ शेष चार विषयों में से दो विषय	60

जब उम्मीदवारों को अनंतिम रूप चयनित करने के लिए मेरिट सूची तैयार की जाती है तो अनुभागीय कट ऑफ के अतिरिक्त 60 में से कुल कट ऑफ पर भी निम्नलिखित विवरणों के अनुसार विचार किया जाएगा।

1. सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग बालकों के लिए : 21
2. सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग बालिकाओं के लिए : 20
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए : 18

   प्रशासनिक कारणों से नविस आवश्यकता के आधार पर चयन मानदंड को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

यदि 60 में से समान अंको के साथ टाई है तो अनुक्रम के समान क्रम में निम्नलिखित मानदंडों का पालन किया जाएगा।

क) **महिला उम्मीदवार को पुरूष उम्मीदवार पर प्राथमिकता दी जायेगी।**

ख) **यदि फिर भी समानता बनी रहती है तो** मानसिक योग्यता अंक को छोड़कर 40(दो विषयों) में से अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी।

ग) **यदि फिर भी समानता बनी रहती है** तो सभी पांच विषयों यानी 100 में से अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी।

घ) यदि समानता अभी भी हल नहीं हुई है तो उम्मीदवार जो उम्र में छोटा है उसे प्राथमिकता दी जाएगी।

कक्षा–11 में प्रवेश हेतु रिक्त स्थानों के सापेक्ष पार्श्व प्रवेश के लिए जनवि–वार स्ट्रीम की उपलब्धता
रिक्त स्थानों की उपलब्धता और विद्यार्थियों के लिए आवास सहित अन्य सुविधाओं की शर्त पर पार्श्व प्रवेश हेतु जनवि में स्ट्रीम का विवरण **अनुपत्र–बी** में देखा जा सकता है।

चयन के पश्चात जमा किए जाने वाले दस्तावेज

पार्श्व प्रवेश चयन परीक्षा के माध्यम से 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों के माता–पिता को सत्यापन के लिए प्रवेश के समय निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगेः–

i. जन्मतिथि का प्रमाण पत्र – संबंधित सक्षम सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र की प्रति।

ii. नविस की शर्तों के अनुसार पात्रता के लिए प्रमाण।

iii. परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10 उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की प्रति।

iv. ग्रामीण कोटे के तहत प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए, माता–पिता को जिला प्रशासन के सक्षम अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि बच्चें ने ग्रामीण क्षेत्र में स्थित किसी संस्थान/विद्यालय में दसवीं कक्षा की पढ़ाई की थी ।

v. निवास प्रमाण पत्रः माता–पिता का उसी जिले का वैध आवासीय प्रमाण पत्र (जैसा कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है) जहां जनवि स्थित है और उम्मीदवार ने दसवीं कक्षा का अध्ययन किया है, जिला मेरिट के अन्तर्गत चयन के संबंध में प्रस्तुत करना होगा।

vi. उम्मीदवार के आधार कार्ड की प्रति : आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अनुसार अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार को आधार कार्ड की प्रति जमा करनी होगी।

vii. अध्ययन विवरण के संबंध में विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

viii. सक्षम प्राधिकारी से चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र।

ix. विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

x. श्रेणी/समुदाय प्रमाण पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग, केन्द्रीय सूची के अनुसार यदि लागू हो।

नोटः–दस्तावेजों के सत्यापन और संबंधित जनवि द्वारा प्रवेश की पुष्टि के पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ/बीईओ आदि) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित मूल विद्यालय से निर्गत स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा किया जाना है।